SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, my appeal, through you, to the entire House is — this is the House of the Elders and the entire nation listens to us — instead of propagating new fears and pointing out baseless allegations which cannot be substantiated, ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please answer his question.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I am answering, Sir. ...(Interruptions)... Allow me to construct my answer. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)...

Just answer the question. ...(Interruptions)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Allow me to construct my answer, as I deem fit. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please let her answer. ...(Interruptions)... No. no. You have raised a question. ...(Interruptions)... Let the question be answered. ...(Interruptions)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to invoke my freedom of speech and expression and only say that the insinuation and allegation ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, no, there is a question. Please answer it. That is all. ...(Interruptions)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Yes, Sir. I am answering the question but allow me to structure my answer as per my need and as per my right. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No. No. Answer the question only. ...(Interruptions)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I am answering the question, Sir. Please permit me not to be interrupted. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(Interruptions)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I will only say that the allegation, which has been made by hon. Member, is absolutely baseless and this is an allegation which is something which surprises me coming from a learned colleague as Mr. Mungekar.

MR. CHAIRMAN: All right. Fine. Thank you.

Misuse of Corporate Social Responsibility funds

*139. DR. T.N. SEEMA: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of projects where Corporate Social Responsibility (CSR) funds have been utilized during the last three years and the current year with the CSR funds available with the Public Sector Undertakings (PSUs);

- (b) whether Government is aware of the media reports regarding misuse of CSR funds in PSUs of Department of Public Enterprises; and
- (c) if so, the steps taken by Government to ensure that CSR funds are utilized properly as per the standard guidelines?

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ANANT GEETE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Department of Public Enterprises (DPE) is the nodal Department for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) but does not have any CPSE under its direct administrative control. These CPSEs are controlled by various Ministries/ Departments of Government of India.

Details of projects where CSR funds have been utilized are maintained only after the provisions of CSR came into force under the Companies Act, 2013. All eligible corporates, including CPSEs are now mandated to furnish details of funds allocated and utilized for undertaking activities under CSR in the format prescribed by the Ministry of Corporate Affairs in the Companies (CSR Policy) Rules, 2014. This information has to be uploaded by CPSEs on the website of MCA.

As per information furnished by 116 CPSEs an amount of ₹ 2447.59 crore has been incurred during 2014-15 for undertaking CSR activities/ projects. Details are given in Statement (*See* below).

(b) and (c) DPE has not received any complaints regarding misuse of CSR funds by CPSEs. CSR activities are taken up by the CPSEs on the recommendations of CSR Committee constituted by the CPSE, with the approval of Boards of respective CPSEs. All CPSEs eligible for CSR are mandated to undertake CSR activities and also to follow the procedure as notified by Ministry of Corporate Affairs in Companies (CSR Policy) Rules, 2014.

Statement

Details of CSR expenditure incurred by CPSEs during 2014-15

Sl. No.	CPSEs	₹ in crores
1.	Airports Authority of India	25.79
2.	Andrew Yule and Company Ltd.	0.32
3.	Antrix Corporation Ltd.	0.80
4.	Balmer Lawrie and Co. Ltd.	3.88

Sl. No.	CPSEs	₹ in crores
5.	BEML Ltd.	3.25
6.	Bharat Coking Coal Ltd.	4.32
7.	Bharat Dynamics Ltd.	2.17
8.	Bharat Electronics Ltd.	23.04
9.	Bharat Heavy Electricals Ltd.	102.05
10.	Bharat Petroleum Corpn. Ltd.	33.97
11.	Braithwaite and Co. Ltd.	0.10
12.	Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Ltd.	0.69
13.	Bridge and Roof Co. (India) Ltd.	0.77
14.	Cement Corpn. of India Ltd.	0.03
15.	Central Coalfields Ltd.	48.86
16.	Central Mine Planning and Design Institute Ltd.	1.81
17.	Central Railside Warehouse Co. Ltd.	0.40
18.	Central Warehousing Corpn.	3.75
19.	Certification Engineers International Ltd.	0.35
20.	Coal India Ltd.	24.72
21.	Cochin Shipyard Ltd.	5.27
22.	Container Corporation of India Ltd.	20.57
23.	Cotton Corpn. of India Ltd.	0.48
24.	Dedicated Fright Corridor Corp. of India Ltd.	0.54
25.	Dredging Corpn. of India Ltd.	0.71
26.	E. C. G. C. Ltd.	3.37
27.	Eastern Coalfields Ltd.	24.82
28.	EDCIL (India) Ltd.	0.11
29.	Electronics Corpn. of India Ltd.	0.71
30.	Engineering Projects (India) Ltd.	0. 22
31.	Engineers India Ltd.	16.83
32.	FCI Aravali Gypsum and Minerals (India) Ltd.	0.81
33.	Ferro Scrap Nigam Ltd.	0.22
34.	Gail (India) Ltd.	71.89
35.	Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd.	2.40

Sl. No.	CPSEs	₹ in crores
36.	Goa Shipyard Ltd.	0.86
37.	Handicrafts and Handloom Exports Corp. of India Ltd.	0.10
38.	Hindustan Aeronautics Ltd.	46.19
39.	Hindustan Copper Ltd.	7. 27
40.	Hindustan Petroleum Corpn. Ltd.	34.07
41.	Hll Lifecare Ltd.	1.31
42.	Housing and Urban Dev. Corpn. Ltd.	3.23
43.	HSCC (India) Ltd.	0.40
44.	India Infrastructure Finance Co. Ltd.	24.24
45.	India Tourism Dev. Corpn. Ltd.	0.29
46.	India Trade Promotion Organisation	0.43
47.	Indian Oil Corporation Ltd.	113.78
48.	Indian Railway Catering and Tourism Corpn. Ltd.	0.97
49.	Indian Railway Finance Corporation Ltd.	26.94
50.	Indian Rare Earths Ltd.	2.01
51.	Indian Renewable Energy Devt. Agency Ltd.	0.63
52.	Ircon International Ltd.	6.73
53.	Kamarajar Port Ltd.	3.18
54.	Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Ltd.	0.26
55.	Karnataka Trade Promotion Organisation	0.02
56.	KIOCL Ltd.	1.00
57.	Konkan Railway Corporation Ltd.	0.19
58.	Kumarakruppa Frontier Hotels Ltd.	0.16
59.	MMTC Ltd.	0.48
60.	MSTC Ltd.	1.28
61.	Madras Fertilizers Ltd.	0.03
62.	Mahanadi Coalfieldls Ltd.	61.30
63.	Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.	4.81
64.	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	5.00
65.	Mecon Ltd.	1.41
66.	Mineral Exploration Corpn. Ltd.	0.84

Sl. No.	CPSEs	₹ in crores
67.	Mishra Dhatu Nigam Ltd.	2.27
68.	Moil Ltd.	13.57
69.	Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd.	1.23
70.	National Aluminium Company Ltd.	19.10
71.	National Bldg. Constn. Corpn. Ltd.	3.96
72.	National Fertilizers Ltd.	0.37
73.	National Handicapped Finance and Devpt. Corpn.	0.08
74.	National Handloom Development Corporation Ltd.	0.74
75.	National Projects Construction Corpn. Ltd.	0.18
76.	National Scheduled Castes Finance and Devp. Corpn.	9.44
77.	National Seeds Corpn. Ltd.	1.23
78.	National Small Industries Corpn. Ltd.	1.86
79.	National Textile Corpn. Ltd.	0.25
80.	NEPA Ltd.	4.59
81.	Neyveli Lignite Corpn. Ltd.	47.49
82.	NHDC Ltd.	2.95
83.	NHPC Ltd.	52.24
84.	NMDC Ltd.	188.63
85.	North Eastern Electric Power Corporation Ltd.	8.88
86.	Northern Coalfields Ltd.	61.78
87.	NTPC Ltd.	205.16
88.	NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd.	0.80
89.	Numaligarh Refinery Ltd.	7.64
90.	Oil and Natural Gas Corporation Ltd.	495.24
91.	Oil India Ltd.	133.31
92.	PEC Ltd.	2.15
93.	Pawan Hans Ltd.	0.44
94.	PFC Green Energy Ltd.	0.11
95.	Power Finance Corporation Ltd.	49.88
96.	Power Grid Corporation of India Ltd.	47.43
97.	Rail Vikas Nigam Ltd.	4.54

Sl. No.	CPSEs	₹ in crores
98.	Railtel Corporation India Ltd.	2 .50
99.	Rajasthan Electronics and Instruments Ltd.	0.40
100.	Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.	8.31
101.	Rashtriya Ispat Nigam Ltd.	14.04
102.	RITES Ltd.	7.89
103.	Rural Electrification Corpn. Ltd.	103.26
104.	Sail Refractory Company Ltd.	0.31
105.	Security Printing and Minting Corpn. India Ltd.	8.19
106.	Shipping Corporation of India Ltd.	0.99
107.	SJVN Ltd.	24.83
108.	South Eastern Coalfields Ltd.	40.42
109.	Steel Authority of India Ltd.	35.04
110.	Tamil Nadu Trade Promotion Organisation	0.03
111.	Telecommunications Consultants (India) Ltd.	0.30
112.	THDC India Ltd.	29.09
113.	The Jute Corpn. of India Ltd.	0.21
114.	Uranium Corporation of India Ltd.	2.81
115.	WAPCOS Ltd.	1.85
116.	Western Coalfields Ltd.	20.15
	Total	2447.59

DR. T. N. SEEMA: Sir, I would bring it to the notice of the Government, through the Chair, that in the last Session, many questions regarding CSR Funds were asked in both the Houses of Parliament, but the Government has failed to give proper replies. It is a well-known fact that the leakage, diverting and siphoning off of CSR Funds, meant for development works happen in the country. It is an established fact that the CSR Funds are routed through charitable trusts which are governed by rules of respective States and there is no centralized system to track these trusts. My question is: What are the steps to be taken by the Government for establishing a centralized system for prevention of diversion of CSR Funds through trusts?

श्री अनंत गीतेः सभापित जी, माननीय सदस्या ने सीएसआर फंड के बारे में जो चिंता जताई है, मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। यदि सीएसआर फंड का दुरुपयोग होता है, तो उस दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से विभाग को, मंत्रालय को अभी तक एक भी शिकायत

[श्री अनंत गीते]

लिखित रूप में नहीं मिली है। यदि लिखित में शिकायत मिलती है, तो निश्चित रूप से उस शिकायत पर कार्यवाही हो सकती है। सीएसआर के माध्यम से—जब मंत्री जी प्रश्न संख्या 137 का जवाब दे रहे थे, तब यहां पर "स्वच्छ भारत अभियान" का जिक्र हुआ था, मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यदि "स्वच्छ भारत अभियान" में सबसे अधिक योगदान किसी का है, तो वह हमारे CPSUs के सीएसआर का है। इसी वजह से हम 'स्वच्छ भारत अभियान' को सफल बनाने में कामयाब रहे हैं। ...(व्यवधान)... सभापति जी, इसीलिए यदि माननीय सदस्या के पास इस प्रकार के दुरुपयोग की कोई विशेष शिकायत है और यदि वे उस specific शिकायत को हमारे समक्ष रखेंगी, तो निश्चित रूप में उस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी।

MR. CHAIRMAN: Now, second supplementary.

DR. T. N. SEEMA: Sir, the hon. Minister says that there is no complaint. Actually, I asked as to whether the Government is aware of the media reports regarding misuse of CSR funds and not about complaints. Sir, even the Courts and the Election Commission have spoken about the misuse of CSR funds as election expenditure. I presume that the Government is very much aware of the misuse of the CSR funds during elections or in the prepoll months for their own gains. Actually, the reply says that the information about CSR has to be uploaded by the CPSEs on the website of MCA. This relates to the details about the PSU CSRs and not about those of big private companies. So, my question is: What is the mechanism with the Government for monitoring CSR activities of private companies at the Central level?

श्री अनंत गीतेः सभापित जी, जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी जी ने DPE की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, हम हर छः महीने में CSR की monitoring कर रहे हैं। मंत्री होने के नाते इसकी शुरुआत मैंने स्वयं की है। मुम्बई में हमने पहली monitoring की बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने western region के सारे CPSUs को आमंत्रित किया था। इसी प्रकार हम हर छः महीने पर monitoring कर रहे हैं। हमने विभाग को इस प्रकार की सूचना दी है कि समय पर monitoring होना आवश्यक है। अखबारों में जो खबरें आती हैं, हम विभाग की ओर से उन सारी खबरों का संज्ञान निश्चित रूप में लेते हैं। इसीलिए जो CPSUs हैं या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये सारी प्राइवेट कंपनीज़ और हमारे CPSUs कंपनी एक्ट के तहत चलते हैं। उस कंपनी एक्ट के तहत यदि CSR का कोई दुरुपयोग होता है, तो उस CPSU को भी अधिकार है, उस कंपनी को भी अधिकार है और उस बोर्ड को भी अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है और हमें उसकी जानकारी दी जाती है, तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरे मंत्रालय द्वारा, यदि वे सार्वजनिक उपक्रम हैं, तो जो concerned Ministry है, उसके द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

DR. T. N. SEEMA: I asked about private companies.

श्री अनंत गीतेः सर, सरकार का प्राइवेट कंपनी से सीधा सम्पर्क नहीं है, सीधा सम्बन्ध नहीं है। हम उन्हें गाइडलाइन देते हैं। ...(व्यवधान)... हम उन्हें गाइडलाइन देते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी

के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हम उन्हें दिशा-निर्देश जरूर देते हैं। जो CPSUs के बारे में है, वही प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू है। उन्हें भी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि वे कार्रवाई नहीं करती हैं और यदि किसी विशेष कंपनी के बारे में आपके पास शिकायत है, तो निश्चित रूप में सरकार द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री पी. एल. पुनियाः सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। 'Corporate Social Responsibility', इस शब्द को पढ़ने से ऐसा लगता है कि शायद यह फंड इसलिए बना है कि जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे अनुसूचित जाित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए, ऐसे लोगों के विकास के लिए जो कमी रह गई है, उसको पूरा करने के लिए यह फंड बना है। मीडिया के माध्यम से शिकायतें बहुत आ रही हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई complaint नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी का प्रावधान है, क्या उनकी जानकारी में है कि इस विषय पर Parliamentary Standing Committee on Public Undertakings की एक विशेष रिपोर्ट आई है, जिसके आप मंत्री हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि इस में बहुत बड़ा घपला हुआ है। सभापित जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उसे शिकायत के रूप में या complaint के रूप में नहीं जानते हैं?

श्री अनंत गीतेः सभापित जी, मंत्रालय के द्वारा स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का कॉग्निजंस लिया जाता है और जो सिफारिशें की जाती हैं, उन सिफारिशों को भी स्वीकार किया जाता है। मैंने अपने उत्तर में यही कहा था कि जो दुरुपयोग हो रहा है, हम उस दुरुपयोग को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जहां पर भी दुरुपयोग हो रहा है, उस संदर्भ में कार्यवाही करने हेतु कोई स्पेसिफ़िक शिकायत अभी तक मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई स्पेसिफ़िक कम्पलेंट आती है, तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन इस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य, श्री पुनिया जी से सहमत हूं कि हमारे पूरे देश की जो रचना है, उसमें जो रीज़नल इम्बैलेंसिज़ हैं, चाहे वे सामाजिक हैं या प्रादेशिक हैं, उन इम्बैलेंसिज़ को कम करने के लिए सीएसआर द्वारा विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। अधिकतर उसी दिशा में इसे खर्च किए जाने की आवश्यकता है, सरकार द्वारा यही गाइडलाइन्स और यही निर्देश दिए जाते हैं। इसीलिए शुरू में मैंने यहां पर "स्वच्छ भारत अभियान" का जिक्र किया था, जो उसका एक सफल उदाहरण है। यदि पैसे का दुरुपयोग होता है, तो निश्चित रूप से हम उसको रोकने के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करते हुए यदि हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

डा. सत्यनारायण जिटयाः माननीय सभापित जी, सीएसआर सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने की एक अच्छी पहल है। इससे निश्चित रूप से उन लोगों को फायदा हुआ है, जो अनदेखे रह जाते हैं, इस दृष्टि से सीएसआर में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक निश्चित प्रतिशत तय किया गया है, इस निश्चित प्रतिशत में उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसे कंट्रीब्यूशन से वे ठीक प्रकार से काम भी करें, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी समीक्षा की पद्धित के निर्देश दिए गए हैं, किन्तु यदि इसके निर्देशों की और अच्छे तरीके से समीक्षा करने के उपाय किए जाएं तो अधिक उचित होगा। चूंकि इस रिस्पांसिबिलिटी के लिए, सीएसआर के साथ-साथ एनएसडीएफ भी इस प्रकार के खेलों के विकास के साथ-साथ बाकी

[डा. सत्यनारायण जटिया]

की रिस्पांसिबिलिटी का काम कर रही है। परंतु यह स्ट्रक्चर इतना ढीला-ढाला है कि इस में कुछ संस्थाएं तो सहयोग कर रही हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इसको सुनिश्चित करने के लिए आपने जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन ठीक प्रकार से हो, इसके लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं?

श्री अनंत गीतेः सर, डीपीई के द्वारा हर छह महीने मेंहम सार्वजिनक उद्यम की मॉनिटिरंग कर रहे हैं। मॉनिटिरंग करते हुए, 2014-15 की जो फिगर हमारे सामने आई है, उसमें देश भर के जो 129 सार्वजिनक लोक उद्यम हैं, उन पर सीएसआर को 3,558 करोड़ रुपये खर्च पड़ा, जो इसके नेट प्रॉफिट, 2 परसेंट से आता है। इन 14-15 साल में जो खर्च हुआ है, वह 2,447 रुपये है। वैसे यह अमाउंट sizable है। इस तरह सीएसआर के माध्यम से हम सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और इसी दिशा में हम मंत्रालय द्वारा निरंतर यह प्रयास और यह कोशिश करते आए हैं कि चाहे निजी सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, सीएसआर का सदुपयोग हो सके।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my question is, actually the whole concept of CSR was brought by the Department of Public Enterprises only. Subsequently, it was extended to the private companies by an enactment in the Companies Act. Now, being a pioneer of it, after the enactment of the Companies Act, 2014-15 is the year where you have to check the implementation of law in respect of private companies, the heavy industries' private companies. You are already doing in the public sector. Now, we are almost in the year 2016-17. Your report gives details from 2014-15, the counting year for checking or enforcement of CSR provisions under the Companies Act. I would like to know from the hon. Minister how CSR provisions are being enforced in the private sector companies, how much they have done and how many are defaulters.

श्री अनंत गीतेः सभापित जी, जहां तक सार्वजिनक लोक उद्यम का सवाल है, CPSUs का सवाल है, उसकी जिम्मेवारी निश्चित रूप से लोक उद्यम विभाग की है। जो निजी इंडस्ट्रीज़ हैं, निजी कम्पनीज़ हैं, ये सारी कम्पनीज़ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। ...(व्यवधान)... मैंने वही जानकारी आपको दी है कि ये कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। जहां तक मेरे मंत्रालय का सवाल है, लोक उद्यम विभाग का सवाल है, हम उनकी जानकारी रखते हैं और केवल जानकारी ही नहीं रखते, यदि CSR में कोई दुरुपयोग होता है, तो इस संदर्भ में सुझाव भी दिए जाते हैं।

नई शिक्षा नीति संबंधी सुझाव

*140. श्री महेंद्र सिंह माहराः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु देश के विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, सचिवों और शिक्षाविदों के साथ मंत्रालय की बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं;
- (ख) यदि हां, तो उक्त बैठकें किन-किन स्थानों पर और संस्थानों में आयोजित की गई थीं: और